रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1385] नई दिल्ली, सोमवार, मई 15, 2017/वैशाख 25, 1939
No. 1385] NEW DELHI, MONDAY, MAY 15, 2017/VAISAKHA 25, 1939

Indiacode

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 मई, 2017

का.आ. 1568(अ).—भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 3103(अ), तारीख 17 नवम्बर, 2015, उन सभी व्यक्तियों से, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से, जिसको उस राजपत्र की प्रतियां, जिसमें यह अधिसूचना अंतर्विष्ट है, उपलब्ध करा दी गई थी, साठ दिन की अवधि के भीतर आक्षेप और सुझाव आमंत्रित करते हुए एक प्रारुप अधिसूचना प्रकाशित की गई थी;

और, प्रारुप अधिसूचना के उत्तर में सभी व्यक्तियों और पणधारियों से कोई टीका टिप्पणियां/आक्षेप और सुझाव प्राप्त नहीं हुए हैं;

हरिके वन्यजीव अभयारण्य, पंजाब राज्य के तरनतारण जिले के उत्तरी भारत का सबसे बड़ी दलदली जमीन है और यह दलदली जमीन सह वन्यजीव अभयारण्य, अमृतसर शहर से लगभग 55 किलोमीटर दूर स्थित है जिसका क्षेत्रफल 86 वर्ग किलोमीटर है और तरनतारण, फिरोजपुर और कपूरथला जिलों में आता है और इस अभयारण्य को 1990 में रामसर स्थल की प्रास्थिति भी दी गई है ;

और, उपरोक्त विनिर्दिष्ट संरक्षित क्षेत्र अधिकांशत: 14 जलीय टेक्सा और 24 स्थलीय प्रजातियों से युक्त जल आधारित क्षेत्र है और मुख्य जल आधारित प्रजातियां नाजस, हाइड्रिला, इपोमोई, अजोला एसपी, पोटामेगेटन, वालीसनरिया इत्यादि है ;

और, क्षेत्र को मछलियों के 16 टेक्सा (72 प्रजातियां), मेढ़क और टोड के 6 टेक्सा, कछुआ (प्राकृतिक टेस्टूडायनल कछुओं के संरक्षण के लिए अन्तरराष्ट्रीय संघ है) की 7 प्रजातियां, स्तनपायियों (जिसके अन्तर्गत शांत भारतीय ओटर और सिंधु नदी डालफिन हैं) की 13 प्रजातियां, पक्षियों की 391 प्रजातियां (59 प्रतिशत प्रवासी) और सांपों की 4 प्रजातियों के पोषण के लिए जाना जाता है;

और, हरिके वन्यजीव अभयारण्य के चारों ओर के क्षेत्र को, जिसका विस्तार और सीमाएं इस अधिसूचना के पैरा 1 में विनिर्दिष्ट हैं, पर्यावरण की दृष्टि से पारिस्थितिक संवेदी जोन के रूप में सुरक्षित और संरक्षित करना तथा उक्त पारिस्थितिक संवेदी जोन में उद्योगों या उद्योगों के वर्गो के प्रचालन तथा प्रसंस्करण करने को प्रतिषिद्ध करना आवश्यक है ;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1), उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) और उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पंजाब राज्य में हरिके वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से 100 मीटर तक के विस्तारित क्षेत्र को हरिके वन्यजीव अभयारण्य पारिस्थितिक संवेदी जोन (जिसे इसमें इसके पश्चात् पारिस्थितिक संवेदी जोन कहा गया है) के रूप में अधिसूचित करती है, जिसका विवरण निम्नानुसार है, अर्थात् :--

1. **पारिस्थितिक संवेदी जोन का विस्तार और उसकी सीमाएं**--(1) पारिस्थितिक संवेदी जोन का विस्तार लगभग 3.93 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को मिलाकर हरिके वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से 100 मीटर तक का क्षेत्र है।

(2) पारिस्थितिक संवेदी जोन का मानचित्र **उपाबंध I** के रूप में उपाबद्ध है और अक्षांश और देशांतर के साथ हरिके वन्यजीव अभयारण्य और पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा का वर्णन **उपाबंध II** के रुप में उपाबद्ध है ।

(3) ऐसे ग्राम जिसका क्षेत्र या जिसका भाग पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर आता है और उसके साथ निर्देशांक **उपाबंध III** में दिया गया है ।

2. पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना.—(1) राज्य सरकार, पारिस्थितिक संवेदी जोन के प्रयोजन के लिए राजपत्र में इस अधिसूचना के अंतिम प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर, स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से और इस अधिसूचना में दिए गए अनुबंधों के सामंजस्य से आंचलिक महायोजना तैयार करेगी ।

(2) आंचलिक महायोजना राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित होगी ।

(3) राज्य सरकार द्वारा पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए आचंलिक महायोजना इस तरह, इस अधिसूचना में यथा विनिर्दिष्ट रीति में तथा सुसंगत केंद्रीय और राज्य विधियों के सामंजस्य सभी और केंद्रीय सरकार द्वारा जारी मार्गनिर्देशों, यदि कोई हों, द्वारा तैयार की जाएगी ।

(4) आंचलिक महायोजना, पर्यावरणीय और पारिस्थितिक विचारों को समाकलित करने के लिए राज्य सरकार के सभी संबद्ध विभागों के परामर्श से तैयार की जाएगी, अर्थात्:--

(i) पर्यावरण;

(ii) वन;

(iii) शहरी विकास;

(iv) पर्यटन;

(v) नगरपालिका;

(vi) राजस्व;

(vii) कृषि ;

(viii) पंजाब राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड।

(5) आंचलिक महायोजना अनुमोदित विद्यमान भू-उपयोग, अवसंरचना और क्रियाकलापों पर कोई निर्बंधन अधिरोपित नहीं करेगी जब तक कि इस अधिसूचना में इस विनिर्दिष्ट न हो और आचंलिक महायोजना सभी अवसंरचना और क्रियाकलापों में और अधिक दक्षता और पारिस्थितिक अनुकूलता का संवर्धन करेगी ।

(6) आंचलिक महायोजना में अनाच्छादित क्षेत्रों के जीर्णोद्धार, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, आवाह क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरों के प्रबंधन, भूतल जल के प्रबंधन, मृदा और नमी संरक्षण, स्थानीय समुदायों की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिक और पर्यावरण से संबंधित ऐसे अन्य पहलूओं, जिन पर ध्यान देना आवश्यक है, के लिए उपबंध होंगे ।

(7) आंचलिक महायोजना सभी विद्यमान पूजा स्थलों, ग्रामों और शहरी बंदोबस्तों, वनों के प्रकार और किस्मों, कृषि क्षेत्रों, ऊपजाऊ भूमि, हरित क्षेत्र जैसे उद्यान और उसी प्रकार के स्थान, उद्यान कृषि क्षेत्र, आर्किडों, झीलों और अन्य जल निकायों का अभ्यंकन करेगी ।

IndiaCode

(8) आंचलिक महायोजना पारिस्थितिक संवेदी जोन में विकास के पारिस्थितिक अनुकूल विकास और स्थानीय समुदायों की आजीविका को सुनिश्चित करते हुए विनियमित होगी ।

(9) आंचलिक महायोजना इस अधिसूचना में दिए गए उपबंधों के अनुसार में अपने कार्यों के बाहर ले जाने के लिए निगरानी समिति के लिए एक संदर्भ दस्तावेज तैयार करेगी ।

3. **राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय--** राज्य सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात्:--

(1) भू-उपयोग.—(क) पारिस्थितिक संवेदी जोन में वनों, उद्यान-कृषि क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, आमोद-प्रमोद के प्रयोजन के लिए चिन्हित किए गए पार्कों और खुले स्थानों का वाणिज्यिक और औद्योगिक संबद्ध विकास क्रियाकलापों के लिए उपयोग या संपरिवर्तन नहीं होगा।:

परंतु पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर कृषि भूमि का संपरिवर्तन निगरानी समिति की सिफारिश पर और राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, क्षेत्रीय नगर योजना अधिनियम के तहत सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन के साथ और केन्द्रीय/राज्य सरकार के अन्य नियमों और विनियमों के रूप में लागू होंगे, जो स्थानीय निवासियों की आवासीय जरूरतों को पूरा करने के लिए है, जैसे:-

(i) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ करना तथा नई सड़कों का संनिर्माण;

(ii) बुनियादी ढांचों और नागरिक सुविधाओं का संनिर्माण और नवीकरण;

(iii) प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग;

(iv) कुटीर उद्योगों जिसके अंतर्गत ग्रामीण कारीगर हैं; सुविधाजनक भण्डार और स्थानीय सुविधाओं सहायक पारिस्थितिक पर्यटन में सम्मिलित गृह वास; और

(v) संवर्धित क्रियाकलाप और पैरा 7 के अंतर्गत दिया गया है:

परंतु यह और भी कि क्षेत्रीय नगर योजना अधिनियम और अन्य नियमों और विनियमों के अंतर्गत राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन तथा संविधान के अनुच्छेद 244 और तत्समय प्रवृत्त विधि के उपबंधों के अनुपालन के बिना, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी है, वाणिज्यिक या उद्योग विकास क्रियाकलापों के लिए जनजातीय भूमि का उपयोग अनुज्ञात नहीं होगा:

परंतु यह और भी कि पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर भू-अभिलेखों में उपसंजात कोई त्रुटि, निगरानी समिति के विचार अभिप्राप्त करने के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक बार संशोधित होगी और उक्त त्रुटि के संशोधन की संसूचना केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को देनी होगी ।

परंतु यह और भी कि उपर्युक्त त्रुटि का संशोधन में इस उप पैरा के अधीन यथा उपबंधित के सिवाय किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन सम्मिलित नहीं होगा ।

(ख) अनप्रयुक्त या अनुत्पादक कृषि क्षेत्रों में पुन: वनीकरण करने के प्रयास किए जाएंगे ।

(2) प्राकृतिक जल स्रोतों -- आचंलिक महायोजना में सभी प्राकृतिक जल स्रोतों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण और पुनरुद्भूतकरण के लिए योजना सम्मिलित होगी और राज्य सरकार द्वारा ऐसे क्षेत्रों पर या उनके निकट विकास क्रियाकलाप प्रतिषिद्ध करने के लिए ऐसी रीति से मार्गनिर्देश तैयार किए जाएंगे ।

(3) पर्यटन/पारिस्थितिक-पर्यटन.—(क) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप, पर्यटन महायोजना के अनुसार होंगे, जो आंचलिक महायोजना का भाग होंगे ।

(ख) पर्यटन महायोजना, पर्यटन विभाग द्वारा राज्य सरकारों के परामर्श से तैयार होगी।

(ग) पर्यटन महायोजना आंचलिक महायोजना के एक घटक के रूप में होगी ।

(घ) पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नलिखित के अधीन विनियमित होंगे, अर्थात् :-

IndiaCode

(i) होटलों और रिर्सोटों का नया संनिर्माण वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से 1 किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक जो भी निकट हो, अनुज्ञात नहीं किया जाएगा। तथापि, वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से 1 किलोमीटर की दूरी से परे, पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक नए होटलों और रिर्सोटों की स्थापना पर्यटन महायोजना के अनुसार पारिस्थितिक पर्यटन सुविधाओं के लिए पूर्व सीमांकित और पदाभिहित क्षेत्रों में ही अनुज्ञात की जाएगी ।

(ii) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर सभी नए पर्यटन क्रियाकलापों या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा मार्गदर्शक सिद्धांतों के तथा राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण, द्वारा जारी पारिस्थितिक पर्यटन (समय-समय पर यथा संशोधित) मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार, पारिस्थितिक पर्यटन पर बल देते हुए होगा;

(iii) आंचलिक महायोजना का अनुमोदन किए जाने तक, पर्यटन के लिए विकास और विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार को वास्तविक स्थल विनिर्दिष्ट संवीक्षा तथा निगरानी समिति की सिफारिश पर आधारित संबंधित विनियामक प्राधिकरणों द्वारा और कोई नया होटल/रिसोर्ट या व्यावसायिक प्रतिष्ठान निर्माण अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ।

(4) **नैसर्गिक विरासत --** पारिस्थितिक संवेदी जोन में महत्वपूर्ण नैसर्गिक विरासत के सभी स्थलों जैसे सभी जीन कोश आरक्षित क्षेत्र, शैल विरचनाएं, जल प्रपातों, झरनों, घाटी मार्गों, उपवनों, गुफाएं, स्थलों, भ्रमण, अश्वरोहण, प्रपातो आदि की पहचान की जाएगी और उन्हें संरक्षित किया जाएगा । उपयुक्त योजना बनाएगी और ऐसी योजना आंचलिक महायोजना का भाग होगा ।

(5) **मानव निर्मित विरासत स्थलों -** पारिस्थितिक संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, शिल्प-तथ्य, ऐतिहासिक, कलात्मक और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों की पहचान करनी होगी और उनके संरक्षण की योजनाएं तैयार करनी होगी तथा आंचलिक महायोजना में सम्मिलित की जाएगी ।

(6) **ध्वनि प्रदूषण**.—पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के अधीन ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 के अनुसार उपबंधों के अनुसार में पारिस्थितिक संवेदी जोन में ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण के लिए विनियमों को संकलित करेगा ।

(7) **वायु प्रदूषण** -- पारिस्थितिक संवेदी जोन में, निवारण और नियंत्रण वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) के अनुसार संकलित करेगा ।

(8) **बहिस्राव का निस्सारण** - पारिस्थितिक संवेदी जोन में उपचारित बहिस्राव का निस्सारण साधारण मानकों के लिए पर्यावरणीय प्रदूषित आच्छादित के निस्सारण के अंतर्गत पर्यावरणीय (संरक्षण) अधिनियम, 1986 और उसके अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियमों या अनुबंध मानकों तथा बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार होगा।

(9) **ठोस अपशिष्ट -** ठोस अपशिष्टों का निपटान निम्नलिखित रूप में होगा -

(i) पारिस्थितिक संवेदी जोन में ठोस अपशिष्टों का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं. का.आ. 1357(आ), तारीख 8 अप्रैल, 2016 नगरपालिक ठोस अपशिष्ट प्रबंध नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ;

(ii) अकार्बनिक सामग्री का निपटान पारिस्थितिक संवेदी जोन के बाहर पहचान किए गए स्थल पर किसी पर्यावरणीय स्वीकृत रीति में होगा;

(iii) पारिस्थितिक संवेदी जोन में ठोस अपशिष्टों को जलाना या भस्मीकरण और भूमि भराव के स्थापनों को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ।

(10) **जैव चिकित्सीय अपशिष्ट**- जैव चिकित्सीय अपशिष्ट प्रबंधन निम्नलिखित रूप में होगा—

(i) पारिस्थितिक संवेदी जोन में जैव चिकित्सीय अपशिष्टों का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं.का.नि 343 (अ) तारीख 28 मार्च 2016 द्वारा प्रकाशित जैव चिकित्सीय अपशिष्ट प्रबंध नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ।

(ii) पारिस्थितिक संवेदी जोन में कोई साधारण उपचार सुविधा या जलाया जाना अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ।

(11)**यानीय परिवहन: -** परिवहन की यानीय गतिविधियां आवास के अनुकूल विनियमित होंगी और इस संबंध में आंचलिक महायोजना में विशेष उपबंध अधिकथित किए जाएंगे और आंचलिक महायोजना के तैयार होने और राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा के अनुमोदित होने तक, निगरानी समिति प्रवृत्त नियमों और विनियमों के अनुसार यानीय गतिविधियों के अनुपालन को निगरानी करेगी ।

IndiaCode

(12)**यानीय प्रदूषण:-** लागू विधियों के अनुसार वाहन प्रदूषण की निवारण और नियंत्रण का अनुपालन किया जाएगा। स्वच्छक ईंधन के उपयोग के लिए किए गए प्रयास उदाहरण के लिए सीएनजी, एलपीजी, आदि हैं ।

(13) **प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन: -** पारिस्थितिक संवेदी जोन में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंध का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं.का.नि 340(अ), तारीख 18 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंध नियम 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(14) **निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन: -** पारिस्थितिक संवेदी जोन में संनिर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंध का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं.का.नि 317(अ), तारीख 29 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित संनिर्माण और विध्वंस प्रबंध नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(15) **ई–अपशिष्ट:-** पारिस्थितिक संवेदी जोन में ई–अपशिष्ट प्रबंध का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा प्रकाशित ई–अपशिष्ट प्रबंध नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(16) **औद्योगिक ईकाइयां: -** (i) राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन के पश्चात् या प्रकाशन में, पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर कोई नए प्रदूषित उद्योगों की स्थापना की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी।

(ii) पारिस्थितिक संवेदी जोन के केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी दिशानिर्देशों में फरवरी, 2016 के भीतर सिर्फ गैर- प्रदूषित उद्योगों की स्थापना के वर्गीकरण की अनुज्ञा दी जाएगी, जब तक कि इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो और इसके अलावा, गैर-प्रदूषित कुटीर उद्योगों को प्रतिषिद्ध किया जाएगा।

(17) **पहाड़ी ढलानों को संरक्षण: -** पहाड़ी ढलानों के संरक्षण के अंतर्गत:

(क) आंचलिक महायोजना पहाड़ी ढलानों पर क्षेत्रों का संकेत होगा जहां किसी भी संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी ।

(ख) कटाव के एक उच्च डिग्री के साथ विद्यमान खड़ी पहाड़ी ढलानों या ढलानों पर किसी भी संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी ।

(18) हरिके आर्द्रभूमि के लिए प्रजातियों की सुरक्षा के लिए रामसर सम्मेलन के तहत रणनीति/योजना का पालन किया जाना चाहिए।

(19) यदि यह आवश्यक समझता है, इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी करने में केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार, अन्य उपायों निर्दिष्ट करेगा।

4. प्रतिषिद्ध , विनियमित और संवर्धित क्रियाकलाप - पारिस्थितिक संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) के उपबंधों और तटीय विनियमन जोन (सीआरजेड), 2011 और पर्यावरणीय संघात आकलन (ईआईए) अधिसूचना, 2006 और वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 (1980 के 69), भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 के 16), वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 के 53) संशोधनों सहित द्वारा शासित होंगे और नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट रीति में विनियमित होंगे, अर्थात् :--

सारणी

क्रम सं.	**क्रियाकलाप**	**टिप्पणियां**
(1)	(2)	(3)
	क.प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप	
(1)	वाणिज्यिक खनन ।	(क) सभी प्रकार के नए और विद्यमान खनन (लघु और वृहत खनिज), पत्थर की खानें और उनको तोड़ने की इकाइयां वास्तविक स्थानीय निवासियों की घरेलू आवश्यकताओं जिसमें निजी उपयोग के लिए मकानों के संनिर्माण या मरम्मत के लिए धरती को खोदना और मकान बनाने के लिए देशी टाइल्स या ईंटों का निर्माण करना भी सम्मिलित है, के सिवाय नहीं होंगी ; (ख) खनन संक्रियाएं, माननीय उच्चतम न्यायालय की रिट याचिका (सिविल) सं. 1995 का 202 टी.एन. गौडाबर्मन थिरुमूलपाद बनाम भारत सरकार के मामले में आदेश तारीख 4 अगस्त, 2006 और रिट याचिका (सी) सं. 2012 का

		435 गोवा फाउंडेशन बनाम भारत सरकार के मामले में तारीख 21 अप्रैल, 2014 के अंतरिम आदेश के अनुसरण में सर्वदा प्रचालन होगा ।
(2)	प्रदूषण (जल या वायु या मृदा या ध्वनि) कारित करने वाले उद्योगों की स्थापना ।	पारिस्थितिक संवेदी जोन में नए उद्योग और उद्योगों में विद्यमान प्रदूषण का विस्तार अनुज्ञा नहीं होगी। फरवरी, 2016 में जब तक कि इस प्रकार अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी दिशानिर्देशों में उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर केवल गैर- प्रदूषण कुटीर उद्योगों की अनुज्ञा दी जाएगी। इसके अतिरिक्त गैर- प्रदूषण कुटीर उद्योगों को संवर्धित किया जाएगा।
(3)	बृहत जल विद्युत परियोजना की स्थापन ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे ।
(4)	किसी परिसंकटमय पदार्थों का उपयोग या उत्पादन ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे ।
(5)	प्राकृतिक जल निकायों या भूमि क्षेत्र में अनुपचारित प्रवाह के निर्वहन ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे ।
(6)	ठोस अपशिष्ट निपटान स्थल की स्थापना और सामान्य जलाए जाने की सुविधा के लिए ठोस और जैव चिकित्सा अपशिष्ट।	पारिस्थितिक संवेदी जोन में ठोस अपशिष्ट निपटान की कोई नई ठोस अपशिष्ट निपटान स्थल और अपशिष्ट उपचारित/प्रसंस्करण सुविधा की अनुज्ञा नहीं है । औद्योगिक प्रक्रिया और स्वास्थ्य प्रतिष्ठान/अस्पतालों आदि से उत्पन्न किसी भी ठोस अपशिष्ट के उपचारित के लिए साधारण या व्यक्तिगत जलावतरण की सुविधा का अधिकतर प्रतिषिद्ध है ।
(7)	फर्मों, कॉर्पोरेट, कंपनियों द्वारा बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक पशुधन संपदा और कुक्कुट फार्मों की स्थापना ।	स्थानीय जरूरतों को पूरा करने के लिए लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
(8)	नई आरा मिलों की स्थापना।	पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर नई और विद्यमान आरा मिलों का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा ।
(9)	ईंट भट्टों की स्थापना करना।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे ।
		ख.विनियमित क्रियाकलाप
(10)	होटलों और रिसोर्टों की स्थापना ।	पारिस्थितिक पर्यटन क्रियाकलापों संबंधी पर्यटकों की लघु संरचनाओं के लिए संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर तक या पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक, इनमें जो भी निकट है, नए वाणिज्यिक होटल और रिसोर्ट अनुज्ञात होंगे, अन्यथा नहीं । परंतु, जहाँ पारिस्थितिक संवेदी जोन का विस्तार एक किलोमीटर से परे है वहाँ, एक किलोमीटर से परे और पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक सभी नए पर्यटक क्रियाकलाप या विद्यमान क्रियाकलाप का विस्तार पर्यटन महायोजना और यथा लागू मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुरुप होगा।
(11)	संनिर्माण क्रियाकलाप ।	(क) संरक्षित क्षेत्र या पारिस्थितिक संवेदी जोन जो भी निकट हो, की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर किसी भी प्रकार का वाणिज्यिक संनिर्माण अनुज्ञात नहीं किया जाएगा: परंतु स्थानीय लोगों को पैरा 6 के उप पैरा (1) में सूचीबद्ध क्रियाकलापों सहित उनके आवासीय उपयोग के लिए उनकी भूमि में संनिर्माण करने की अनुज्ञा भवन उपविधियों के अनुसार दी जाएगी । (i) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ करना तथा नई सड़कों का संनिर्माण; (ii) बुनियादी ढांचों और नागरिक सुविधाओं का संनिर्माण और नवीकरण;

		(iii) कुटीर उद्योगों जिसके अंतर्गत ग्रामीण उद्योग हैं; सुविधाजनक भण्डार और स्थानीय सुख सुविधाओं जो पारिस्थितिक पर्यटन जिस में सहायक हो गृह वास; और (iv) इस अधिसूचना में संवर्धित क्रियाकलापों की सूची :
(12)	प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग ।	फरवरी, 2016 में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार श्वेत प्रवर्ग निबंधित गैर-प्रदूषण उद्योग और गैर-परिसंकटमय लघु उद्योग तथा पारिस्थितिक संवेदी जोन से सेवा उद्योग, कृषि, पुष्पकृषि, उद्यान कृषि या कृषि आधारित उद्योग उत्पाद से देशी-सामाग्री सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञा दी जाएगी।
(13)	वृक्षों की कटाई ।	(क) राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना वन, सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर या वनों में किंही वृक्षों की कटाई नहीं होगी । (ख) वृक्षों की कटाई संबंधित केंद्रीय या राज्य अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंध के अनुसार विनियमित होगी ।
(14)	वन उत्पादों और गैर काष्ठ वन उत्पादों का संग्रहण ।(एन.टी.एफ.पी)	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
(15)	नागरिक सुविधाओं सहित बुनियादी ढांचे।	लागू विधियों के अनुसार न्यूनीकरण की उपायों के साथ, नियम और विनियमन और उपलब्ध दिशानिर्देश विनियमित होंगे।
(16)	पर्यटन से संबंधित क्रियाकलाप जैसे गर्म वायु गुब्बारें, हेलीकाप्टर, ड्रोन, माइक्रोलाइटस और अन्य पर्यटन क्रियाकलाप आदि द्वारा पारिस्थितिक संवेदी जोन क्षेत्र के ऊपर से उड़ना जैसे क्रियाकलाप करना।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
(17)	विद्युत उत्थापन और अवसंरचना संबंध दूरसंचार टावर ।	भूमिगत केबलों को प्रोत्साहन देना ।
(18)	होटलों और लॉज के विद्यमान परिसरों में बाड लगाना ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
(19)	प्राकृतिक जल निकायों या सतही क्षेत्र में उपचारित बहिर्स्राव का निस्सारण ।	उपचारित बहिर्स्राव के पुनर्चक्रण को प्रोत्साहित करने और अवमल या ठोस अपशिष्टों के निपटान के लिए विद्यमान विनियमों का अनुपालन किया जाएगा । अन्यथा लागू विधियों के अधीन उपचारित बहिर्स्राव के पुनर्चक्रण/प्रवाह के निर्वहन को विनियमित किया जाएगा।
(20)	सतह और भूजल के वाणिज्यिक निष्कर्षण ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
(21)	खुले कुआ, बोर कुआ, आदि के लिए कृषि और अन्य उपयोग ।	विनियमित और उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा क्रियाकलापों की सख्ती से निगरानी की जाएगी।
(22)	वाणिज्यिक साइनबोर्ड और होर्डिंग ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
(23)	वायु ,ध्वनि और यानिक प्रदूषण ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
(24)	विदेशी प्रजातियों को लाना ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
(25)	पारिस्थितिक पर्यटन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
(26)	सुरक्षा बलों के शिविर।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
(27)	नए काष्ठ आधारित उद्योग।	पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर नए काष्ठ आधारित उद्योग की स्थापना अनुज्ञात नहीं होगी:

India Code

		परंतु पारिस्थितिक संवेदी जोन में 100 प्रतिशत आयातित काष्ठ स्टाक उपभोग करने वाले नए काष्ठ आधारित उद्योग की स्थापना की जा सकेगी ।
(28)	पारिस्थितिक अनुकूल पर्यटक क्रियाकलापों के लिए, पर्यटकों के अस्थायी आवासन के लिए पारिस्थितिक अनुकूल कुटीर, जैसे तंबू, लकड़ी के घर आदि ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
(29)	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
	ग. संवर्धित क्रियाकलाप	
(30)	वर्षा जल संचयन ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
(31)	जैविक खेती।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
(32)	सभी क्रियाकलापों के लिए हरित तकनीकी को अंगीकृत करना ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
(33)	कुटीर उद्योगों जिसके अंतर्गत ग्रामीण कारीगर भी हैं।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
(34)	नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उपयोग ।	बायोगैस, सौर प्रकाश इत्यादि को बढ़ावा दिया जाए ।
(35)	कृषि वानिकी ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
(36)	पारिस्थितिक अनुकूल परिवहन का उपयोग ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
(37)	कौशल विकास ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
(38)	निम्नीकृत भूमि या वन या आवास की बहाली ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
(39)	पर्यावरणीय जागरुकता ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।

ऊपर विनिर्दिष्ट क्रियाकलाप के अनुसार प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप प्रारूप अधिसूचना जारी करने की तारीख से प्रस्त होंगी।

5. पारिस्थितिक संवेदी जोन निगरानी समिति- (1) केंद्रीय सरकार, पारिस्थितिक संवेदी जोन के प्रभावी निगरानी के लिए एक निगरानी समिति का गठन करेगी जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, अर्थात् :-

(क)	मुख्य वन परिरक्षक (वन्यजीव), पंजाब सरकार	अध्यक्ष;
(ख)	ग्रामीण विकास विभाग और पंचायत, पंजाब सरकार का प्रतिनिधि	सदस्य;
(ग)	पर्यावरण मंत्रालय, वन और जलवायु परिवर्तन के प्रतिनिधि	सदस्य;
(घ)	क्षेत्रीय कार्यालय, पंजाब राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड	सदस्य;
(ङ)	पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य करने वाले गैर सरकारी संघटन का पंजाब सरकार द्वारा नामित तीन वर्ष की अवधि के लिए प्रतिनिधि	सदस्य;
(च)	राज्य जैव-विविधता बोर्ड का सदस्य	सदस्य;
(छ)	पंजाब सरकार द्वारा पारिस्थितिक एवं पर्यावरण के क्षेत्र का तीन वर्ष की अवधि के लिए एक विशेषज्ञ	सदस्य;

(ज)	ग्रामीण विकास और आवास विभाग, पंजाब सरकार के प्रतिनिधि विभाग	सदस्य;
(छ)	कृषि विभाग, पंजाब सरकार का प्रतिनिधि	सदस्य;
(ज)	जिला कलक्टर, फिरोजपुर का प्रतिनिधि	सदस्य;
(झ)	उप-वन संरक्षक	सदस्य-सचिव।

6.निर्देश - निबंधन :

(1) निगरानी समिति का कार्यकाल तीन वर्ष का होगा।

(2) पारिस्थितिक संवेदी जोन समिति इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन को मानीटर करेगी ।

(3) पारिस्थितिक संवेदी जोन में भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची में के अधीन सम्मिलित क्रियाकलापों और इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन प्रतिषिद्ध गतिविधियों के सिवाय आने वाले ऐसे क्रियाकलापों की दशा में वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित निगरानी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरण निकासी के लिए केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को निर्दिष्ट की जाएगी ।

(4) इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के सिवाय, भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अधिसूचना के अनुसूची के अधीन ऐसे क्रियाकलापों, जिन्हें सम्मिलित नहीं किया गया है, परंतु पारिस्थितिक संवेदी जोन में आते हैं, ऐसे क्रियाकलापों की वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित निगरानी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उसे संबद्ध विनियामक प्राधिकरणों को निर्दिष्ट किया जाएगा ।

(5) निगरानी समिति का सदस्य-सचिव या संबद्ध मुख्य वन संरक्षक(वन्यजीव), ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध, जो इस अधिसूचना के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन परिवाद फाइल करने के लिए सक्षम होगा ।

(6) निगरानी समिति मुद्दा दर मुद्दा के आधार पर अपेक्षाओं पर निर्भर रहते हुए संबद्ध विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संगमों या संबद्ध पणधारियों के प्रतिनिधियों को अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी ।

(7) निगरानी समिति प्रत्येक वर्ष की 31 मार्च तक की अपनी वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट राज्य के मुख्य जीव वार्डन **उपाबंध IV** में उपबंधित रूपविधान के अनुसार उक्त वर्ष के 30 जून तक प्रस्तुत करेगी ।

(8) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय निगरानी समिति को अपने कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए समय-समय पर ऐसे निदेश दे सकेगा, जो वह ठीक समझे ।

7. इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभाव देने के लिए केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार अतिरिक्त उपाय, यदि कोई हों, विनिर्दिष्ट कर सकेंगे ।

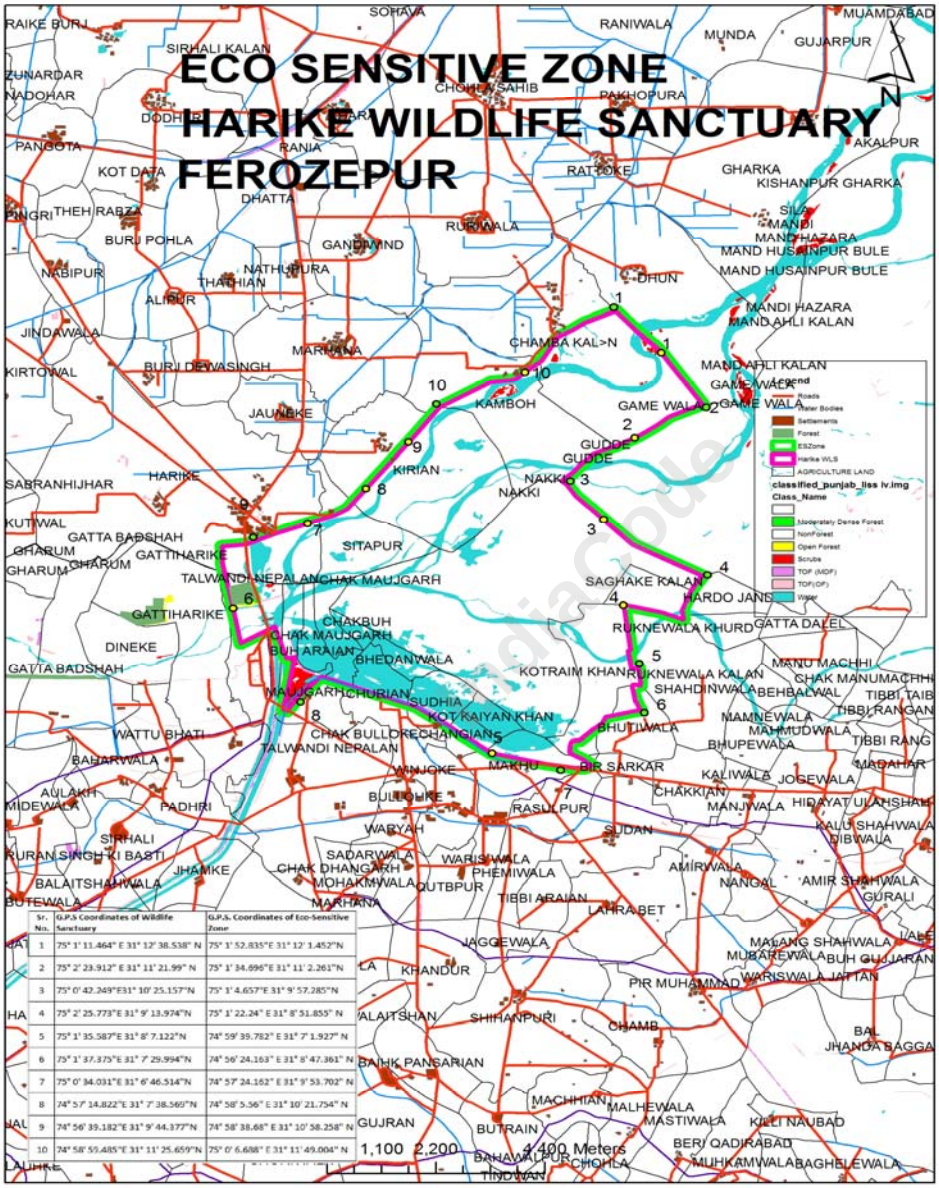
8. भारत के माननीय भारत का उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा पारित कोई आदेश या पारित होने वाले किसी आदेश, यदि कोई हों, के अधीन, इस अधिसूचना के उपबंध होंगे ।

[फा. सं. 25/1/2015-ईएसजेड-आरई]

ललित कपूर, वैज्ञानिक 'जी'

उपाबंध I

हरिके वन्यजीव अभयारण्य, पंजाब की सीमा के पारिस्थितिक संवेदी जोन का मानचित्र



Sr. No.	G.P.S Coordinates of Wildlife Sanctuary	G.P.S. Coordinates of Eco-Sensitive Zone
1	75° 1' 11.464" E 31° 12' 38.538" N	75° 1' 52.835"E 31° 12' 1.452"N
2	75° 2' 23.912" E 31° 11' 21.99" N	75° 1' 34.696"E 31° 11' 2.261"N
3	75° 0' 42.249"E31° 10' 25.157"N	75° 1' 4.657"E 31° 9' 57.285"N
4	75° 2' 25.773"E 31° 9' 13.974"N	75° 1' 22.24" E 31° 8' 51.855" N
5	75° 1' 35.587"E 31° 8' 7.122"N	74° 59' 39.782" E 31° 7' 1.927" N
6	75° 1' 37.375"E 31° 7' 29.994"N	74° 56' 24.163" E 31° 8' 47.361" N
7	75° 0' 34.031"E 31° 6' 46.514"N	74° 57' 24.162" E 31° 9' 53.702" N
8	74° 57' 14.822"E 31° 7' 38.569"N	74° 58' 5.56" E 31° 10' 21.754" N
9	74° 56' 39.182"E 31° 9' 44.377"N	74° 58' 38.68" E 31° 10' 58.258" N
10	74° 58' 59.485"E 31° 11' 25.659"N	75° 0' 6.688" E 31° 11' 49.004" N

उपाबंध-II

जी.पी.एस निर्देशांक **के साथ** हरिके वन्यजीव अभयारण्य **और इसके** पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा का वर्णन

क्र.सं	**वन्यजीव अभयारण्य के जी.पी.एस निर्देशांक**	
1.	75°1'11.464''पू	31°12'38.538''उ
2.	75°2'23.912''पू	31°11'21.99'' उ
3.	75°0'42.249''पू	31°10'25.157'' उ
4.	75°2'25.773''पू	31°9'13.974'' उ
5.	75°1'35.587''पू	31°8'7.122'' उ
6.	75°1'37.375''पू	31°7'29.994''
7.	75°0'34.031''पू	31°6'46.1514''
8.	74°57'14.822''पू	31°7'38.569'' उ
9.	74°56'39.182''पू	31°9'44.377'' उ
10.	74°58'59.485''पू	31°11'25.659'' उ
पारिस्थितिक संवेदी जोन के जी.पी.एस निर्देशांक		
1.	75°1'52.835''पू	31° 12'1.452'' उ
2.	75°1'34.696''पू	31°11'2.261'' उ
3.	75°1'4.657''पू	31° 9'57.285'' उ
4.	75°1'22.24''पू	31° 8'51.855'' उ
5.	74°59'39.782''पू	31° 7'1.927'' उ
6.	74°56'24.163''पू	31° 8'47.361'' उ
7.	74°57'24.162''पू	31° 9'53.702'' उ
8.	74°58'5.56''पू	31° 10'21.754'' उ
9.	74°58'38.68''पू	31° 10'58.258'' उ
10.	74°0'6.688''पू	31° 11'49.004'' उ

IndiaCode

उपाबंध III

जी.पी.एस निर्देशांक **के साथ** हरिके वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिक संवेदी जोन **के अंतर्गत आने वाले** ग्रामों **की सूची**

क्र.सं	**ग्राम का नाम**	**अक्षांश**			**देशांतर**		
		डिग्री	**मिनट**	**सेकेंड**	**डिग्री**	**मिनट**	**सेकेंड**
जिला फिरोजपुर							
1.	रूकनेवाला कलान	31	07	45.98	75	02	36.97
2.	भोतिवाला	31	07	09.44	75	01	44.00
3.	कोटि क्यूइम खान	31	08	07.19	75	01	2.99
4.	रसूलपुर	31	05	41.64	75	00	1.04
5.	पुराना मखु	31	06	26.87	74	58	34.78
6.	छानगन	31	07	10.46	74	59	43.34
7.	सुदाहीअ	31	07	32.72	7	59	16.85
8.	छुर्रीअन	31	07	48.04	74	58	34.58
9.	मुझघर	31	08	23.83	74	57	15.39
10.	तेलवानदी नेपालन	31	06	19.52	74	57	44.53
जिला कपुरथाला							
1.	मंड सिंनगहपुर	31	10	52.45	75	01	17.90
2.	गुड्डे	31	10	30.53	71	01	4.51
3.	जंड	31	09	04.05	75	03	03.28
जिला तरन तारन							
1.	हरीके	31	10	08.39	74	56	33.94
2.	मारअर	31	10	00.06	74	57	31.81
3.	किररीअन	31	10	36.50	74	58	24.84

IndiaCode

4.	कामबोदहाइ वाला	31	11	31.79	74	58	55.72
5.	छमबा कलान	31	12	30.46	75	00	33.24
6.	धुनधाइवालावा (धुन)	31	13	04.62	75	01	28.59

उपाबंध IV

पारिस्थितिक संवेदी जोन निगरानी समिति - की गई कार्रवाई की रिपोर्ट का रूप विधान

1. बैठकों की संख्या और तिथि ।
2. बैठकों का कार्यवृत : कृपया मुख्य उल्लेखनीय बिंदुओं का वर्णन करें । बैठक के कार्यवृत्त को एक पृथक अनुबंध में उपाबद्ध करें ।
3. आंचलिक महायोजना की तैयारी की प्रास्थिति जिसके अंतर्गत पर्यटन महायोजना।
4. भू-अभिलेख में सदृश्य त्रुटियों के सुधार के लिए ब्यौहार किए गए मामलों का सारांश ।
5. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन आने वाली गतिविधियों की संविक्षा के मामलों का सारांश । ब्यौरे एक पृथक् उपाबंध के रूप में उपाबद्ध किए जा सकते हैं ।
6. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन न आने वाली गतिविधियों की संविक्षा के मामलों का सारांश । ब्यौरे एक पृथक् उपाबंध के रूप में उपाबद्ध किए जा सकते हैं ।
7. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन दर्ज की गई शिकायतों का सारांश ।
8. कोई अन्य महत्वपूर्ण विषय ।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th May, 2017

S.O. 1568(E).—Whereas, a draft notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide notification of the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change number S.O. 3103, dated the 17th November, 2015, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby within the period of sixty days from date on which copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public;

And whereas, no comments/objections and suggestions received from persons and stakeholders in response to the draft notification;

And whereas, Harike Wildlife Sanctuary is the largest wetland in Northern India in the Tarn Taran district of the State of Punjab and this wetland cum wildlife sanctuary is located about 55 kilometres from Amritsar city and is formed by backwater of a river and the area of the sanctuary is 86 square kilometres that falls in district Tarn Taran, Ferozepur and Kapurthala and the said sanctuary is also accorded the status of Ramsar Site in 1990;

And whereas, the Protected Area is mostly water based area with 14 aquatic Taxa and 24 terrestrial species and the main water based species are Najas, Hydrilla, Ipomoea, Azolla sp., Potamegeton, Vallisneria etc.;

And whereas, the area is known to support 16 Taxa (72 species) of Fishes, 6 Taxa of Frogs and toads, 7 species of Turtles (including International Union for Conservation of Nature Testudines turtles), 13 species of Mammals (including smooth Indian Otter and Indus River Dolphin), 391 species (59% migratory) of birds and 4 species of snakes;

And whereas, it is necessary to conserve and protect the area, the extent and boundaries of which is specified in paragraph 1 of this notification around the protected area of the Harike Wildlife Sanctuary as Eco-sensitive Zone from

ecological and environmental point of view and to prohibit industries or class of industries and their operations and processes in the said Eco-sensitive Zone.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1), clause (v) and clause (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies an area to an extent upto100 metres all around the boundary of the Harike Wildlife Sanctuary in the State of Punjab as the Harike Wildlife Sanctuary Eco-sensitive Zone (hereinafter referred to as the Eco-sensitive Zone), details of which are as under, namely:-

1. **Extent and boundaries of Eco-sensitive Zone.—**(1) The extent of the Eco-sensitive Zone is an area of 100 meters all around the boundary of the Harike Wildlife Sanctuary comprising an area of 3.93 square kilometre approximately.

(2) The map of the Eco-sensitive Zone is appended as **Annexure I**. and the boundary description of Harike Wildlife Sanctuary and its Eco-sensitive Zone along with the latitudes and longitudes is appended as **Annexure II**.

(3) The list of villages whose area or parts thereof are falling within the Eco-sensitive Zone along with the coordinates are given as **Annexure III.**

2. Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone.—(1) The State Government shall, for the purpose of the Eco-sensitive Zone prepare, a Zonal Master Plan, within a period of two years from the date of publication of final notification in the Official Gazette, in consultation with local people and adhering to the stipulations given in this notification.

(2) The Zonal Master Plan shall be approved by the Competent Authority in the State Government.

(3) The Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone shall be prepared by the State Government in such manner as is specified in this notification and also in consonance with the relevant Central and State laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.

(4) The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation with all concerned State Departments, namely:-

(i) Environment;

(ii) Forest;

(iii) Urban Development;

(iv) Tourism;

(v) Municipal;

(vi) Revenue;

(vii) Agriculture;

(viii) Punjab State Pollution Control Board,

for integrating environmental and ecological considerations into it.

(5) The Zonal Master Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and the Zonal Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendly.

(6) The Zonal Master plan shall provide for restoration of denuded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that need attention.

(7) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, village and urban settlements, types and kinds of forests, agricultural areas, fertile lands, green area, such as, parks and like places, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies.

(8) The Zonal Master Plan shall regulate development in theEco-sensitive Zone so as to ensure Eco-friendly development and livelihood security of local communities.

(9) The Zonal Master Plan so approved shall be the reference document for the Monitoring Committee for carrying out its functions of monitoring in accordance with the provisions of this notification.

IndiaCode

3. **Measures to be taken by State Government.-**The State Government shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely:-

(1) Landuse.—

(a) Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-sensitive Zone shall not be used or converted into areas for major commercial or major residential complex or industrial activities.

Provided that the conversion of agricultural and other lands, for the purpose other than that specified within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the competent authority under the Relevant State Laws and other rules and regulations of Central/State Government as applicable and vide provisions of this Notification, to meet the residential needs of the local residents such as-:

(i) widening and strengthening of existing roads and construction of new roads;

(ii) construction and renovation of infrastructure and civic amenities;

(iii) small scale industries not causing pollution;

(iv) cottage industries including village industries; convenience stores and local amenities supporting eco-tourism including home stay; and

(v) promoted activities and given under para 7.

Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the competent authority under the Relevant State Laws and other rules and regulations of State Government and without compliance of the provisions of article 244 of the Constitution or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):

Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-sensitive Zone shall be corrected by the State Government, after obtaining the views of Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change:

Provided also that the above correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph.

(b) Efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas with afforestation and habitat restoration activities.

(2) Natural Springs.-The catchment areas of all natural springs shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan and the guidelines shall be drawn up by the State Government in such a manner as to prohibit development activities at or near these areas which are detrimental to such areas.

(3) Tourism/Eco-tourism.—(a) All new eco-tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be as per the Tourism Master Plan for the Eco-sensitive Zone.

(b)The Eco-Tourism Master Plan shall be prepared by Department of Tourism in consultation with State Departments of Environment and Forests.

(c) The Tourism Master Plan shall form a component of the Zonal Master Plan.

(d) The activities of Eco-tourism shall be regulated as under, namely:-

(i) No new construction of hotels and resorts shall be allowed within 1 km from the boundary of the Wildlife Sanctuary or upto the extent of the Eco-sensitive Zone whichever is nearer. However, beyond the distance of 1 km. from the boundary of the Wildlife Sanctuary till the extent of the Eco-sensitive Zone, the establishment of new hotels and resorts shall be allowed only in pre-defined and designated areas for Eco-tourism facilities as per Tourism Master Plan.

(ii) All new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the guidelines issued by the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and the eco-tourism guidelines issued by the National Tiger Conservation Authority (as amended from time to time) with emphasis on eco-tourism.

(iii) Until the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee and no new hotel /resort or commercial establishment construction is permitted within Eco-sensitive Zone area.

(4) Natural Heritage.—All sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone, such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified and a heritage conservation plan shall be drawn up for their preservation and conservation as a part of the Zonal Master Plan.

(5) Man-made heritage sites.—Buildings, structures, artefacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic, and cultural significance shall be indentified in the Eco-sensitive Zone and heritage conservation plan for their conservation shall be prepared as part Zonal Master Plan.

(6) Noise pollution.—Prevention and Control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone shall be complied with in accordance the with Noise Pollution (Regulation And Control) Rules, 2000 under the Environment (Protection) Act, 1986.

(7) Air pollution.—Prevention and control of air pollution in the Eco-sensitive Zone shall be complied with in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981).

(8) Discharge of effluents.—Discharge of treated effluent in Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the General Standards for Discharge of Environmental Pollutants covered under the Environmental (Protection) Act, 1986 and rules made thereunder or standards stipulated by State Government .

(9) Solid wastes. - Disposal and Management of solid wastes shall be as under:-

(i) The solid waste disposal and management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Solid Waste Management Rules, 2016 and published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number S.O. 1357 (E), dated the 8th April, 2016,

(ii) The inorganic material may be disposed in an environmental acceptable manner at site identified outside the Eco-sensitive Zone.

(iii) No burning or incineration of solid wastes and establishment of landfills shall be permitted in the Eco-sensitive Zone.

(10) Bio-medical waste.—Bio medical waste management shall be as under:

(i) The bio-medical waste disposal in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Bio-Medical Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide Notification number GSR 343 (E), dated the 28th March, 2016.

(ii) No common treatment facility or incineration shall be permitted within the Eco Sensitive Zone.

(11) Vehicular traffic. - The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal Master plan is prepared and approved by the Competent Authority in the State Government, the Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Acts and the rules and regulations made thereunder.

(12) Vehicular Pollution.—Prevention and control of Vehicular Pollution shall be complied with in accordance with applicable laws and efforts to be made for use of cleaner fuel for example CNG, LPG, etc.

(13) Plastic Waste Management.— The Plastic Waste Management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Plastic Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number G.S.R. 340(E), dated the 18th March, 2016,

(14) Construction and Demolition Waste Management.— The Construction and Demolition Waste Management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Construction and Demolition Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number G.S.R. 317(E), dated the 29th March, 2016.

(15) E-waste- The E- Waste Management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the E-Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change .

(16) Industrial Units.— (i) On or after the publication of this notification in the Official Gazette, no new polluting industries shall be allowed to be set up within the Eco-sensitive Zone.

(ii) Only non-polluting industries shall be allowed within Eco-sensitive Zone as per classification of Industries in the Guidelines issued by the Central Pollution Control Board in February 2016, unless so specified in this notification and in addition, non-polluting cottage industries shall be promoted.

(17) Protection of Hill Slopes.—The protection of hill slopes shall be as under-

(a) The Zonal Master Plan shall indicate areas on hill slopes where no construction shall be permitted.

(b) No construction on existing steep hill slopes or slopes with a high degree of erosion shall be permitted.

(18) Strategy/plan under Ramsar convention to be followed for protection of species for Harike wetland.

(19) The Central Government and the State Government shall specify other measures, if it considers necessary, in giving effect to the provisions of this notification.

4. Prohibited, Regulated and Promoted Activities.-

All activities in the Eco -sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and the rules made there under including the Coastal Regulation Zone Notification,2011 and the Environmental Impact Assessment Notification, 2006 and other applicable laws including the Forest (Conservation) Act, 1980 (69 of 1980), the Indian Forest Act, 1927 (16 of 1927), the Wildlife (Protection) Act 1972 (53 of 1972), and amendments made thereto and be regulated in the manner specified in the Table below, namely:-

TABLE

Sl. No.	Activity	Remarks
A.	**Prohibited Activities:**	
1.	Commercial Mining.	(a) All new and existing (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units are prohibited with immediate effect except for meeting the domestic needs of bona fide local residents including digging of earth for construction or repair of houses and for manufacture of country tiles or bricks for housing and for other activities. (b) The mining operations shall be carried out in accordance with the order of the Hon'ble Supreme Court dated 04 August, 2006 in the matter of T.N. Godavarman Thirumulpad Vs. UOI in W.P.(C) No.202 of 1995 and dated 21 April, 2014 in the matter of Goa Foundation Vs. UOI in W.P.(C) No.435 of 2012.
2.	Setting of industries causing pollution (Water, Air, Soil, Noise, etc.).	No new industries and expansion of existing polluting industries in the Eco-sensitive zone shall be permitted. Only non-polluting industries shall be allowed within Eco-sensitive Zone as per classification of Industries in the Guidelines issued by the Central Pollution Control Board in February 2016, unless so specified in this notification. In addition, non-polluting cottage industries shall be promoted.
3.	Establishment of major hydroelectric project.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
4.	Use or production or processing of any hazardous substances.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
5.	Discharge of untreated effluents in natural water bodies or land area.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
6.	Establishment of solid waste disposal site and common incineration facility for solid and bio medical waste .	No new solid waste disposal site and waste treatment/processing facility of solid waste is permitted within Eco sensitive zone. Further installation of common or individual incineration facility for treatment of any form of solid waste generated from industrial

		process and health establishment/ hospitals etc. is Prohibited.
7.	Establishment of large-scale commercial livestock and poultry farms by firms, corporate, companies.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws except for meeting local needs.
8.	Setting of new saw mills.	No new or expansion of existing saw mills shall be permitted within the Eco-sensitive Zone.
9.	Setting up of brick kilns.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
B.	**Regulated Activities:**	
10.	Commercial establishment of hotels and resorts.	No new commercial hotels and resorts shall be permitted within one kilometre of the boundary of the Protected Area or upto the extent of Eco-sensitive zone, whichever is nearer, except for small temporary structures for Eco-tourism activities. Provided that, beyond one kilometre from the boundary of the protected Area or upto the extent of Eco-sensitive zone whichever is nearer, all new tourist activities or expansion of existing activities shall be in conformity with the Tourism Master Plan and guidelines as applicable.
11.	Construction activities.	No new commercial construction of any kind shall be permitted within one Kilometre from the boundary of the Protected Area or upto extent of the Eco-sensitive Zone whichever is nearer: Provided that, local people shall be permitted to undertake construction in their land for their use including the activities listed in sub-paragraph (1) of paragraph 6 as per building byelaws to meet the residential needs of the local residents such as:- (i) widening and strengthening of existing roads and construction of new roads; (ii) construction and renovation of infrastructure and civic amenities; (iii) cottage industries including village industries; convenience stores & local amenities supporting eco-tourism including home stays; and (iv) promoted activities listed in this Notification.
12.	Small scale non polluting industries.	Non polluting industries termed as White Category as per classification of industries issued by the Central Pollution Control Board in February 2016 and non-hazardous, small-scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based

IndiaCode

		industry producing products from indigenous materials from the Eco-sensitive Zone shall be permitted by the competent Authority.
13.	Felling of Trees.	(a) There shall be no felling of trees on the forest or Government or revenue or private lands without prior permission of the competent authority in the State Government. (b) The felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned Central or State Act and the rules made thereunder.
14.	Collection of Forest produce or Non-Timber Forest Produce (NTFP).	Regulated under applicable laws.
15.	Infrastructure including civic amenities	Shall be done with mitigation measures, as per applicable laws, rules and regulation and available guidelines.
16.	Under taking other activities related to tourism like over flying the Eco-sensitive Zone area by hot air balloon, helicopter, drones, Microlites, etc.	Regulated under applicable law
17.	Erection of electrical and telecommunication towers related infrastructure.	Promote underground cabling.
18.	Fencing of existing premises of hotels and lodges.	Regulated under applicable laws.
19.	Discharge of treated waste water/effluents in natural water bodies or land area.	The discharge of treated waste water/effluents shall be avoided to enter into the water bodies. Efforts to be made for recycle and reuse of treated waste water. Otherwise the discharge of treated waste water/effluent shall be regulated as per applicable laws.
20.	Commercial extraction of surface and ground water .	Regulated under applicable law.
21.	Open Well, Bore Well etc. for agriculture or other usage.	Regulated and the activity should be strictly monitored by the appropriate authority.
22.	Commercial Sign boards and hoardings.	Regulated under applicable laws.
23.	Air, Noise and vehicular pollution.	Regulated under applicable laws.
24.	Introduction of Exotic species.	Regulated under applicable laws.
25.	Eco-tourism.	Regulated under applicable laws
26.	Security Forces Camp.	Regulated under applicable laws.
27.	New wood based industry.	No establishment of new wood based industry shall be permitted within the limits of Eco-sensitive Zone: Provided that new wood based industry may be set up in the Eco-sensitive using 100% imported wood stock.
28.	Eco-friendly cottages for temporary occupation of tourists such as tents, wooden houses, etc. for Eco-friendly tourism activities.	Regulated under applicable laws.
29.	Solid Waste Management.	Regulated under applicable laws.

IndiaCode

	C. Promoted Activities:	
30.	Rain water harvesting.	Shall be actively promoted.
31.	Organic farming.	Shall be actively promoted.
32.	Adoption of green technology for all activities.	Shall be actively promoted.
33.	Cottage industries including village artisans, etc.	Shall be actively promoted.
34.	Use of renewable energy and fuels.	Bio gas, solar light etc. to be actively promoted.
35.	Agro-Forestry.	Shall be actively promoted.
36.	Use of eco-friendly transport.	Shall be actively promoted.
37.	Skill Development.	Shall be actively promoted.
38.	Restoration of Degraded Land/Forests/Habitat.	Shall be actively promoted.
39.	Environmental Awareness.	Shall be actively promoted.

Prohibited Activities as specified above shall come into effect from the date of issue of Draft Notification.

5. **Eco-sensitive Zone Monitoring Committee.—**(1) The Central Government hereby constitutes a Monitoring Committee, for effective monitoring of the Eco-sensitive Zone, which shall comprise of the following namely:-

(a) The Chief Conservator of Forest (Wildlife), Government of Punjab -Chairman,

(b) Representative Department of Rural Development and Panchayat, Government of Punjab -Member;

(c) Representative of the Ministry of Environment, Forests and Climate Change -Member;

(d) Regional Office, Punjab State Pollution Control Board -Member;

(e) One representative of Non-governmental Organizations' working in the field of environment to be nominated by the Government of Punjab for three years -Member;

(f) Member of State Biodiversity Board - Member;

(g) One expert in the area of ecology and environment to be nominated by the Government of Punjab for a term of three years in each case -Member;

(h) Representative Department of Rural Development and Housing Department, Government of Punjab -Member;

(i) Representative of Agricultural, Government of Punjab -Member;

(j) Representative of District Collector of Firozepur -Member;

(k) Deputy Conservator of Forests -Member Secretary.

6. Terms of Reference:-

(1) The tenure of the Monitoring Committee shall be three years.

(2) The Monitoring Committee shall monitor the compliance of the provisions of this Notification.

(3) The activities that are covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.

(4) The activities that are not covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006 and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned Regulatory Authorities.

(5) The Member Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Chief Conservator of Forests (Wildlife) shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 against any person who contravenes the provisions of this notification.

(6) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments, representatives from Industry Associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.

(7) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities as on 31st March of every year by 30th June of that year to the Chief Wild Life Warden of the State per Performa appended at **Annexure IV**.

(8) The Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change may give such directions, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.

7. The Central Government and State Government may specify additional measures, if any, for giving effect to provisions of this notification.

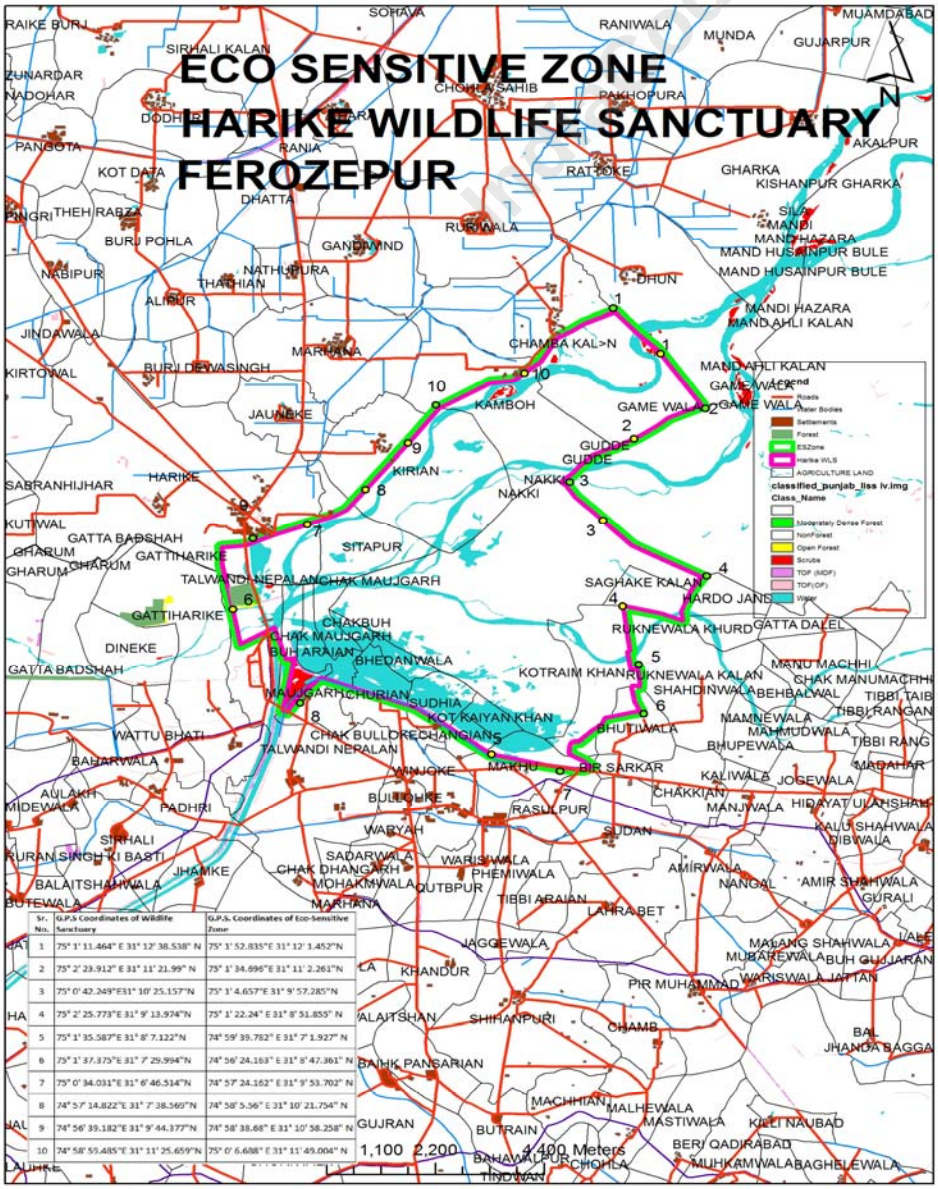
8. The provisions of this notification shall be subject to the orders, if any, passed, or to be passed, by the Hon'ble Supreme Court of India or the High Court or National Green Tribunal.

[F. No. 25/1/2015-ESZ-RE]

LALIT KAPUR, Scientist 'G'

Annexure I

Map of Eco-sensitive Zone Boundary of Harike Wildlife Sanctuary, Punjab



Sr. No.	G.P.S Coordinates of Wildlife Sanctuary	G.P.S. Coordinates of Eco-Sensitive Zone
1	75° 1' 11.464" E 31° 12' 38.538" N	75° 1' 52.835"E 31° 12' 1.452"N
2	75° 2' 23.912" E 31° 11' 21.99" N	75° 1' 34.696"E 31° 11' 2.261"N
3	75° 0' 42.249"E31° 10' 25.157"N	75° 1' 4.657"E 31° 9' 57.285"N
4	75° 2' 25.773"E 31° 9' 13.974"N	75° 1' 22.24" E 31° 8' 51.855" N
5	75° 1' 35.587"E 31° 8' 7.122"N	74° 59' 39.782" E 31° 7' 1.927" N
6	75° 1' 37.375"E 31° 7' 29.994"N	74° 56' 24.163" E 31° 8' 47.361" N
7	75° 0' 34.031"E 31° 6' 46.514"N	74° 57' 24.162" E 31° 9' 53.702" N
8	74° 57' 14.822"E 31° 7' 38.569"N	74° 58' 5.56" E 31° 10' 21.754" N
9	74° 56' 39.182"E 31° 9' 44.377"N	74° 58' 38.68" E 31° 10' 58.258" N
10	74° 58' 59.485"E 31° 11' 25.659"N	75° 0' 6.688" E 31° 11' 49.004" N

Annexure II

Boundary Description of Harike Wildlife Sanctuary and its Eco-sensitive Zone with GPS Co-ordinates

Sl. No.	G.P.S Coordinates of Wildlife Sanctuary	
1.	7501’11.464’’ E	31012’38.538’’N
2.	7502’23.912’’ E	31011’21.99’’ N
3.	7500’42.249’’ E	31010’25.157’’ N
4.	7502’25.773’’ E	3109’13.974’’ N
5.	7501’35.587’’ E	3108’7.122’’ N
6.	7501’37.375’’ E	3107’29.994’’ N
7.	7500’34.031’’ E	3106’46.1514’’ N
8.	74057’14.822’’ E	3107’38.569’’ N
9.	74056’39.182’’ E	3109’44.377’’ N
10.	74058’59.485’’ E	31011’25.659’’ N
G.P.S Coordinates of Eco-Sensitive Zone		
1.	7501’52.835’’ E	310 12’1.452’’ N
2.	7501’34.696’’ E	31011’2.261’’ N
3.	7501’4.657’’ E	310 9’57.285’’ N
4.	7501’22.24’’ E	310 8’51.855’’ N
5.	74059’39.782’’ E	310 7’1.927’’ N
6.	74056’24.163’’ E	310 8’47.361’’ N
7.	74057’24.162’’ E	310 9’53.702’’ N
8.	74058’5.56’’ E	310 10’21.754’’ N
9.	74058’38.68’’ E	310 10’58.258’’ N
10.	7400’6.688’’ E	310 11’49.004’’ N

IndiaCode

Annexure III

List of Villages falling in the Eco-sensitive Zone of Harike Wildlife Sanctuary with GPS Co-ordinates

Sl. No.	Name of Village	Latitude			Longitude		
		Degree	Minute	Second	Degree	Minute	Second
District Ferozepur							
1.	Ruknewala Kalan	31	07	45.98	75	02	36.97
2.	Bhootiwala	31	07	09.44	75	01	44.00
3.	Kot Qaim Khan	31	08	07.19	75	01	22.99
4.	Rasulpur	31	05	41.64	75	00	41.04
5.	Purana Makhu	31	06	26.87	74	58	34.78
6.	Changian	31	07	10.46	74	59	43.34
7.	Sudhia	31	07	32.72	74	59	16.85
8.	Churrian	31	07	48.04	74	58	34.58
9.	Maujgarh	31	08	23.83	74	57	15.39
10.	Talwandi Nepalan	31	06	19.52	74	57	44.53
District Kapurthala							
1.	Mand Singhpura	31	10	52.45	75	01	17.90
2.	Gudde	31	10	30.53	71	01	44.51
3.	Jand	31	09	04.05	75	03	03.28
District Tarn Taran							
1.	Harike	31	10	08.39	74	56	33.94
2.	Marrar	31	10	00.06	74	57	31.81
3.	Kirrian	31	10	36.50	74	58	24.84
4.	Kambodhai Wala	31	11	31.79	74	58	55.72
5.	Chamba Kalan	31	12	30.46	75	00	33.24
6.	Dhundhaiwala (Dhun)	31	13	04.62	75	01	28.59

IndiaCode

Annexure IV

Proforma of Action Taken Report:- Eco-sensitive Zone Monitoring Committee.-

1. Number and date of meetings:
2. Minutes of the meetings: mention main noteworthy points. Attached Minutes of the meeting on separate Annexure.
3. Status of preparation of Zonal master Plan including Tourism master Plan.
4. Summary of cases dealt for rectification of error apparent on face of land record.

 Details may be attached as Annexure
5. Summary of cases scrutinized for activities covered under Environment Impact Assessment Notification, 2006:

 Details may be attached as separate Annexure.
6. Summary of case scrutinized for activities not covered under Environment Impact Assessment Notification, 2006:

 Details may be attached as separate Annexure.
7. Summary of complaints ledged under Section 19 of Environment (Protection) Act, 1986:
8. Any other matter of importance:

IndiaCode

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

SARVESH KUMAR SRIVASTAVA
Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA
Date: 2017.05.20 15:34:22 +05'30'